जिला विधिक सेवा प्रधिकार, जामताड़ा

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

महिला न्यायिक सशक्तिकरण सप्ताह 08–14 मार्च 2009

आइए! हम सभी मिलकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत कर उन्हें विधिक जानकारी प्रदान करें :-

1. महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का हिंसा, उत्पीड़न, शोषण या यातना पूर्णतः अवैद्य है एवं यह दण्डनीय अपराध है ।
2. भारत सरकार ने सन् 2006 में "Domestic Violence Act" "घरेलु हिंसा अधिनियम" इस उद्देश्य से पारित किया है कि महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित किया जाय एवं इस अधिनियम के सहारे कोई भी महिला अपने घर में पति या घर के अन्य सदस्यों द्वारा अगर प्रताडित होती है या उसके साथ मारपीट की जाती है तो वह निकटतम थाना में जा कर केस दर्ज करवा सकती है और यह संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह हिंसा या अपराध करने को शीघ्र गिरफ्तार कर आगे कि न्यायिक कारवाई आरंभ करें।
3. सार्वजनिक स्थलों कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों या किसी अन्य जगहों पर अगर किसी महिला के साथ छेड़-छाड़, गाली गलौज या किसी अन्य तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो महिलाओं को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह थाना जा कर केस दर्ज करवायें और थाना के पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह तुरंत दोषी व्यक्ति या अपराधी को गिरफ्तार कर आगे की कारवाई आरंभ करें।
4. अगर किसी महिला के साथ शादी के बाद दहेज उत्पीड़न का व्यावहार किया जाता है या उससे दहेज की मांग की जाती है और दहेज नहीं मिलने पर उसके साथ मारपीट की जाती है या घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो भारतीय दण्ड विधान (Indian panel Code) की धारा 498 (A) के तहत् उस पीड़ित महिला को यह कानूनी अधिकार है कि वह थाना या सीधे न्यायालय में जाकर इस संबंध में केस दर्ज करवा सकती है और खुद भी न्यायिक सहायता एवं क्षतिपूर्ति तथा भरण-पोषण की सहायता प्राप्त कर सकती है।
5. प्रायः गरीब, अनपढ़ एवं विधवा महिलाओं को गाँवों में उनकी सम्पत्ति हड़पने के लिए उनके स्वंय के परिजन/पड़ोसी उसे डायन कहकर प्रताड़ित करते है, जो **"डायन अधिनियम"** के तहत एक दंडनीय अपराध है। अतः उक्त अवस्था में पीड़ित महिला थाना या न्यायालय आकर प्राप्त कर सकती है। उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीड़ित महिलाओं को मुफ्त वकील मुहैया कराया जाता है।
6. 18 वर्ष से कम उम्र के बालिकाओं का विवाह कराया जाना कानून के तहत् एक दंडनीय अपराध है। उक्त परिस्थिति में बालिकायें पुलिस एवं न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर **बाल विवाह** जैसे अपराध को रोक सकती है।
7. सन् 2005 में "Right to Information Act." **"सूचना का अधिकार अधिनियम"** लागू हुआ है। महिलायें इस अधिनियम का उपयोग कर स्वंय को सशक्त बना सकती है।

विशेष विधिक एवं अन्य अधिकारों से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क करें :-

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा
व्यवहार न्यायालय, जामताड़ा
फोन–06433223649

दैनिक जागरण दिनांक- 09-03-2009

मदनाडीह से होगा नरेगा लोक अदालत का शुभारंभ

जामताड़ा, विधि संवाददाता : रविवार को नारायणपुर प्रखंड के मदनाडीह गांव स्थित मध्य विद्यालय में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में पहली बार जिले में नरेगा लोक अदालत को आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव बीपी सिंह ने किया। श्री सिंह ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पुरुषों को महिलाओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में ही लड़का या लड़की पता लगाकर भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करनी चाहिए। संपत्ति के लालच में गांव घर की महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ित नहीं करने को कहा। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने निकटतम पुलिस पदाधिकारी को लिखित रूप से सूचना देने को कहा। जिला में महिला थाना का भी गठन किया गया है आप वहां भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। अगर वहां भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन दे जहां 60 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर देने की बात कही। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शंभु नाथ झा ने कहा कि महिला ही महिला को सर्वाधिक प्रताड़ित करती है इसलिए एक महिला को दूसरे महिला के प्रति मधुर भाव रखनी चाहिए। उन्होंने कहा नारी जगत जननी होती है इसके बगैर संसार अंधकार होता है इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। इसमें लक्ष्मी का भी रूप देखा जाता है। वहीं मौके पर उपस्थित नारायणपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवीन्द्र गगराई उपस्थित ग्रामीणों को नरेगा की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से गुजारिश किया कि केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ उठावें। बिचौलिया के चक्कर में न आवें और रोजगार के लिए अन्य जगह जाने की मनाही किया। बाद मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव बी पी सिंह द्वारा नरेगा लोग अदालत का कार्य प्रारंभ किया गया और नरेगा संबंधी समस्या लिखित रूप से ग्रामीणों को देने को कहा।

शिविर को संबोधित करते न्यायिक पदाधिकारी व उपस्थित ग्रामीण।

शिविर को संबोधित करते प्राधिकार के सचिव वीपी सिंह व उपस्थित लोग.

जामताड़ा कोर्ट

प्रतिनिधि

नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मदनाडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर व नरेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया. शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विजय प्रताप सिंह ने लोगों को उनके कानूनी अधिकार, लोक अदालत व नरेगा लोक अदालत से संबधित जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस तरह का शिविर लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों लगाने का कार्यक्रम है. जिले में यहां पहली बार नरेगा लोक अदालत लगायी गयी है. इसके माध्यम से नरेगा के तहत मिलने वाले काम व अन्य सुविधाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचायी गयी.

श्री सिंह ने कहा : नरेगा के तहत निबंधित मजदूर, अकधर में 15 रुपये जमाकर अपनी बीमा एक वर्ष के लिए अवश्य करायें. उन्होंने लोगों को शिक्षित होने और भ्रूण हत्या नहीं करने की सलाह दी. उन्होंने खासकर महिलाओं को अपने अधिकार की रक्षा के लिए प्राधिकार के सचिव के पास आवेदन जमा कराने को कहा. इसके अलावा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बताया.

- **लोगों को उनके कानूनी अधिकार, लोक अदालत व नरेगा लोक अदालत से संबधित जानकारी दी गयी.**
- **मदनाडीह के एक जॉबकार्डधारी ने काम नहीं मिलने की शिकायत दर्ज करायी.**

अधिवक्ता मिहिर कुमार दूबे ने कहा : नरेगा लोक अदालत से लोगों को लाभ उठाना चाहिए. नरेगा से संबंधित शिकायत को यहां लाया जा सकता है. मजदूरी भुगतान, जॉबकार्ड व मस्टर रोल से संबंधित शिकायत के निबटारे के लिए आवेदन दें. इसके अलावा नारायणपुर बीडीओ, अधिवक्ता जयराम राय, व्याख्याता सुदीप्ता पाल, समाजसेवी सत्यप्रकाश कल्याण, डीएसपी शंभूनाथ झा, बीपीओ प्रदीप टोप्पो आदि ने भी शिविर को संबोधित किया. नरेगा अदालत में मदनाडीह गांव के एक जॉबकार्डधारी सलीमउद्दीन अंसारी ने काम नहीं मिलने की शिकायत की. इस मौके पर नारायणपुर थानाप्रभारी, ठकुर भंडारी, संजय कुमार आदि भी उपस्थित थे. मंच का संचालन अधिवक्ता त्रिलोचन पांडे ने किया.

KODERMA

Legal Awareness camp was organised by DLSA in Rotary Club, Tillaiya. In the said programme a discussion has been made on the law on the current status and future of the women. Another programme was organised by DLSA in association with Baal Vikas Pariyojna Office in V.R.C. Bhavan, Block Office Premises, Jhumri Tilaiya. In the said programme, several speakers have delivered their views on Women Empowerment and their future possibilities.

कोडरमा

हिन्दुस्तान रांची सोमवार, 09 मार्च, 2009

एक नजर

जुलूस-ए-मोहम्मदी कल

झुमरीतिलैया। जलवाबाद से हजरत मोम्मद के जयंती पर 10 मार्च को जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जायेगा। सुबह आठ बजे निकलने वाला यह जुलूस भ्रमण करते हुए जलवाबाद कब्रिस्तान पहुंचेगा, जहां फतेहा और दुआ के बाद जुलूस समाप्त होगा। यह जानकारी आफताब आलम ने दी।

भाकपा माले की बैठक

डोमचांच। डोमचांच में भाकपा माले प्रखंडस्तरीय बैठक प्रखंड सचिव रामधन यादव की अध्यक्षता में हुई। मौके पर माले जन गोलबंद करने के विश्वास के साथ पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं के दरवाजे तक जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि महंगाई भ्रष्टाचार पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। इस दौरान कई लोगों ने माले की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर चुनाव प्रभारी दिलीप मंडल, बचन मेहता, बिनोद पांडेय, रामप्रकाश आदि उपस्थित थे।

चालकों पर मामला दर्ज

कोडरमा। करारोपण पदाधिकारी संजय कुमार दास, संतोष कुमार चौधरी, एमवीआइ लालबिहारी यादव ने कोडरमा थाना में अज्ञात ट्रक चालकों और कुछ असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चेकनाका पर जांच के दौरान कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट, जरूरी कागजात फाड़ने, कुर्सियां तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि सात मार्च की शाम को चेकनाका पर वाहनों के कागजात और लदे सामानों के चालानों की जांच के दौरान उक्त लोग चेकनाका के बैरिकेट को हटाने का दबाव डालने लगे। इसका विरोध करने पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गयी। इधर

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना, सीजेएम ने कहा

महिला विकास की पहल कर रही सरकार

संबोधित करते सीजेएम और मंच पर उपस्थित सीडीपीओ तथा अन्य लोग।

प्रतिनिधि कोडरमा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाल विकास परियोजना कार्यालय ने बीआरसी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि सीजेएम चंद्रेश कुमार ने कहा कि सरकार महिलाओं के विकास के लिए सार्थक पहल कर रही है। संचालन सीडीपीओ सविता कुमारी ने किया। कार्यक्रम को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी एमसी नारायण और दिनेश कुमार ने संबोधित किया।

संगोष्ठी का आयोजन

झुमरीतिलैया। रोटरी क्लब ऑफ कोडरमा द्वारा संचालित सहेली सेंटर और इनर व्हील क्लब के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अधिकार और कर्तव्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीजेएम चंद्रेश कुमार ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संविधान में कई प्रावधान निहित हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक अभियोजक ने कहा कि दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। मौके पर विशिष्ट अतिथि लोक अभियोजक किरण कुमारी, महिला चिकित्सक भावना सेठ आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन सीमा भगत ने किया। बाद में अतिथियों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

महिलाएं किसी से कम नहीं

कोडरमा। भाजपा महिला मोर्चा ने महिला दिवस पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष लीना देवी ने की। मौके पर जिलाध्यक्ष उषा देवी ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। कार्यक्रम को भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, महिला जिला उपाध्यक्ष नूतन बाला सिन्हा आदि ने संबोधित किया। दूसरी लोकाई में क्रेज संस्था के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे दिल्ली से आयी प्रीति गुप्ता, रानी, कुमारी, बैजंती देवी, पूनम सिन्हा, संजू ने संबोधित किया। संचालन अनिता सिंह ने किया।

LATEHAR

A special programme was organised on the occasion of Women's Day with the help of "Ashray" (a local self service group). A large number of people have participated in the said programme and were addressed by the several speakers. They highlighted the importance of peace in out day to day life, specially at home, in which women can play a significant role. An appeal has also been made to do away with the crime against women and asked people to remove it from the society.

रांची, 9 मार्च, 2009 लातेहार दैनिक जागरण

'अधिकार के लिए महिलाएं जागरूक हों'

महिलाओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा

एक-दूसरे को सम्मान दें महिलाएं : धर्मशीला

■ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम

संवाददाता लातेहार

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मत्स्य हेचरी के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि महिला चिकित्सक डॉ. धर्मशीला चौधरी ने कहा कि महिलाएं शिक्षित होंगी, तो पूरा समाज शिक्षित हो जायेगा। निरक्षरता ही महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि नारी ही नारी की दुश्मन बन जाती है। अतः जब तक एक नारी दूसरी नारी का सम्मान नहीं करेगी, तब तक नारी कल्याण संभव नहीं है।

मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डॉ हरेंद्रचंद्र ने कहा कि लड़का-लड़की में कोई अंतर नहीं है, इस बात को सभी महिलाएं समझ लें, तो समाज में परिवर्तन हो जायेगा। मौके पर डॉक्टरों ने नारी चिकित्सा की जानकारी दी। कार्यक्रम को डीपीएम समरेश कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डीपीओ इस्लामुल हक ने किया। इससे पूर्व यादव कलामंच के [illegible] नागेश्वर प्रसाद यादव के नेतृ[illegible] नारी कल्याण से संबंधित नाटक का मंचन किया गया।

जागरूक हो गयी हैं महिलाएं : एसडीजेएम

लातेहार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंच बाजार के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसडीजेएम बीबी सिंह ने कहा कि महिलाएं काफी सशक्त हो चुकी हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण है शिक्षा। स्नातक की छात्रा प्रियंका कुमारी ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। वार्ड पार्षद नीलिम देवी को एसडीजेएम ने बुके प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आश्रम के अध्यक्ष आशीष टैगोर, सचिव सुनील कुमार, वार्ड पार्षद सह तकनीकी सदस्य संतोष रंजन सहित अन्य लोग सक्रिय दिखे।

महिला गोष्ठी का आयोजन

चंदवा। महिला दिवस पर बाल विकास परियोजना कार्यालय चंदवा में महिला गोष्ठी आयोजित की गयी। मौके पर महिला वक्ताओं ने कहा कि भारत में शुरू [illegible] ही नारियों की पूजा की जाती रही है, लेकिन आज उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वक्ताओं ने भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, नारी शिक्षा पर बल देते हुए समाज में समरसता लाने की बात कही।

आश्रय
स्वयं सेवी संस्था

6 लातेहार चंदवा
प्रभात खबर
रांची | सोमवार | 9 मार्च | 2009

घर में हो शांति, तभी समाज शांत होगा

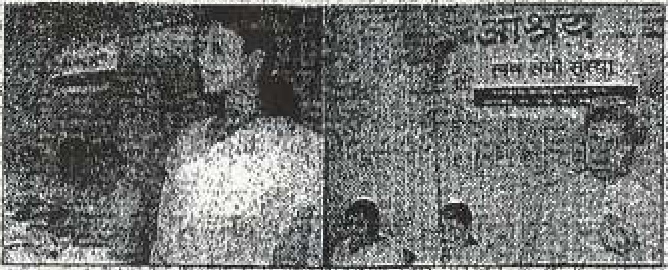

संबोधित करती प्रियंका व एसडीजेएम बीबी सिंह.

लातेहार
प्रतिनिधि

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शहर के राजकीय मध्य विद्यालय बाजार (अंबाकोठी) में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी बीबी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे. मौके पर वार्ड पार्षद संयुक्ता कुमार, नीलम देवी व संतोष रजन के अलावा कई लोग उपस्थित थे.

मंच का संचालन आशीष टैगोर व धन्यवाद ज्ञापन सुनील कुमार ने किया. एसडीजेएम श्री सिंह ने मौके पर कहा कि जब तक घर में शांति नहीं होगी, तब तक समाज एवं विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो सकती है. श्री सिंह ने घरों में महिलाओं को अपने सोच में परिवर्तन लाते हुए कहा कि अगर हम किसी से प्यार व प्रेम की अभिलाषा करते हैं, तो हमें भी दूसरों से प्रेम करना होगा. उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को अभिशाप बताया और कहा कि आज महिला ही महिला की दुश्मन है. महिला दिवस की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब महिलाओं को समाज में उसका उचित स्थान और सम्मान मिले. स्नातक की छात्रा प्रियंका कुमारी (प्रभी) ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं. लेकिन आज भी समाज में महिलाएं तिरस्कृत होती हैं. उन्होंने महिलाओं को अपने हक व अधिकार के लिए आगे आने की अपील की. कार्यक्रम को ममता कुमारी व सरोज देवी ने भी संबोधित किया.

आश्रय ने महिलाओं को सम्मानित किया

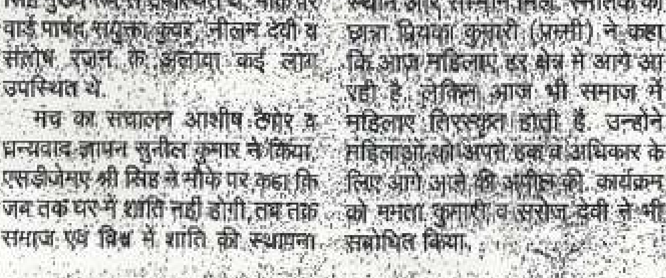

बुके भेंट कर सम्मानित करते बीबी सिंह.

लातेहार : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संस्था आश्रय लातेहार ने नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर छह की पार्षद संयुक्ता कुमार एवं वार्ड नंबर आठ की पार्षद नीलम को बुके भेंट कर सम्मानित किया. एसडीजेएम बीबी सिंह ने इन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया.

घर में हो शांति, तभी समाज शांत होगा

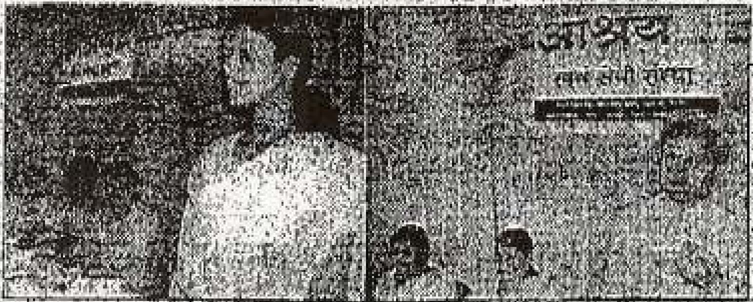

संबोधित करती प्रियंका व एसडीजेएम बीबी सिंह.

लातेहार
प्रतिनिधि

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शहर के राजकीय मध्य विद्यालय बाजार (अंबाकोठी) में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी बीबी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे. मौके पर वार्ड पार्षद संयुक्ता कुंवर, नीलम देवी व संतोष रंजन के अलावा कई लोग उपस्थित थे.

मंच का संचालन आशीष टैगोर व धन्यवाद ज्ञापन सुनील कुमार ने किया. एसडीजेएम श्री सिंह ने मौके पर कहा कि जब तक घर में शांति नहीं होगी, तब तक समाज एवं विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो सकती है. श्री सिंह ने घरों में महिलाओं को अपने सोच में परिवर्तन लाते हुए कहा कि अगर हम किसी से प्यार व प्रेम की अभिलाषा करते हैं, तो हमें भी दूसरों से प्रेम करना होगा. उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को अभिशाप बताया और कहा कि आज महिला ही महिला की दुश्मन है. महिला दिवस की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब महिलाओं को समाज में उसका उचित स्थान और सम्मान मिले. स्नातक की छात्रा प्रियंका कुमारी (प्रत्ती) ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं. लेकिन आज भी समाज में महिलाएं तिरस्कृत होती हैं. उन्होंने महिलाओं को अपने हक व अधिकार के लिए आगे आने की अपील की. कार्यक्रम को ममता कुमारी व सरोज देवी ने भी संबोधित किया.

आश्रय ने महिलाओं को सम्मानित किया

बुके भेंट कर सम्मानित करते बीबी सिंह.

लातेहार : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संस्था आश्रय, लातेहार ने नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर छह की पार्षद संयुक्ता कुंवर एवं वार्ड नंबर आठ की पार्षद नीलम को बुके भेंट कर सम्मानित किया. एसडीजेएम बीबी सिंह ने इन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया.

LOHARDAGA

A legal literacy camp was organised by DLSA, Lohardaga on International Women's Day on 8th March, 09 in Awantika Hall, Lohardaga, where a large number of ladies participant attended the said programme. They have been sensitized towards their legal right relating to Witch Crafting, Female Foeticide, Trafficking of women, Working Women dignity, gender equality and justice, women empowerment, domestic and the other aspects relating to their rights which has been recognized under the law.

नारी शक्ति के बगैर विकास अधूरा : डीसी

मंचासीन डीसी, न्यायाधीश, डीपीओ और अन्य।

संवाददाता लोहरदगा

नारी शक्ति के सहयोग के बगैर विकास विकास की गति को लक्ष्य देने की परिकल्पना को साकार करना संभव नहीं है। उक्त बातें डीसी महेश प्रसाद सिन्हा ने कहीं। जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और एनजीओ के सहयोग से लोहरदगा प्रखंड परिसर स्थित अवंतिका भवन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आठ मार्च को आयोजित कार्यक्रम को वह संबोधित कर रहे थे।

श्री सिन्हा ने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। महिलाएं सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। एलजीएसएस सचिव चंद्रपति यादव ने कहा कि संविधान में महिला-पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। डॉ एमएम सेनगुप्ता ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लामबंद होने और स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ लेने का आह्वान किया। डीपीओ लाल सिंह कुरील ने महिलाओं और निःशक्तजनों के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। एसीजेएम अनिल कुमार जायसवाल ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को अपना कर्तव्य समझना होगा। सभा का संचालन सेन्हा सीडीपीओ मीना ठाकुर और धन्यवाद ज्ञापन सदर सीडीपीओ बिरजिनिया तिर्की ने किया। कार्यक्रम में एसडीओ धर्मेंद्र पाण्डेय, कुडू सीडीपीओ पूनम कुमारी, डा. शिवाकांत शर्मा, डीपीआरओ माकिरण मुण्डा, वीर बुधू विकास केंद्र सचिव सुमति कच्छप समेत जिले भर के एएनएम, सहिया, स्वयंसेवी और महिला मंडलों की सदस्याएं उपस्थित थीं।

PAKUR

National legal Aid week for women has been observed and a legal awareness camp was organised at the new building of district Bar Association Civil Court, Pakur.

महिलाओं की जागरूकता से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव

महिला दिवस पर कार्यशाला आयोजित

कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी व जागरुकता रैली में शामिल महिलाएं

महिला अधिकार की जानकारी देते अतिथि

पाकुड़ (नि.प्र.)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से नगर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त डा.मनीष रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आज महिलाएं को अपने हक और अधिकार को समझते हुए सरकार द्वारा उनके हित में चलायी जा रही कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। आज महिलाएं-पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज के दिनों में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और भारत को शिखर तक पहुंचाने में महिलाओं का सक्रिय योगदान रहा है। उपायुक्त ने कहा कि जबतक महिला जागरूक नहीं होगी तबतक स्वस्थ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता। समारोह को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को आज भी हमारे समाज में प्रताड़ित होना पड़ रहा है, लेकिन अब उन्हें जागरूक होना होगा। समारोह में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किये। वहीं समारोह का संचालन लिट्टीपाड़ा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमारी ऋतु व महेशपुर सीडीपीओ खदीजा फरजाना ने किया। समारोह में जिले भर की आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका उपस्थित थीं। **पाकुड़िया से सं.सू.के अनुसार** अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाते हुए पाकुड़िया प्रखंड की विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों की सैकड़ों महिलाओं ने पाकुड़िया प्रखंड के विभिन्न गांवों में रैली के माध्यम से महिलाओं में जागृति लाने की कोशिश की।

महिला अधिकार पर रैली निकाली

पाकुड़ (नि.प्र.)। विश्व महिला दिवस के मौके पर झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बैनर तले महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली। महिलाओं का जत्था सांस्कृतिक भवन से निकलकर गांधी चौक तक गया। रैली में महिलाओं ने महिला अत्याचार बंद करो, महिलाओं का अधिकार हनन बंद करो जैसे नारे लगाते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया। उधर बाल विकास परियोजना कार्यालय के आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका ने प्रखंड कार्यालय से नगर भवन तक प्रदर्शन किया। जागरूकता रैली के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की।

महिलाओं को दी कानून की जानकारी

पाकुड़ (सं.सू.)। महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से महिलाओं के हक एवं अधिकार विषय पर एडीजे आर.आर.पी. देव, न्यायिक दंडाधिकारी लाल जी कुशवाहा, पियूष कुमार, विश्वनाथ शुक्ला, समीर मिश्रा आदि द्वारा जानकारी दी गई।

कई प्रस्ताव भेजी गई

पाकुड़ (सं.सू.)। महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूनम प्रसाद की अध्यक्षता में महिला दिवस के अवसर पर कई प्रस्ताव पारित किया गया। मोर्चा की अध्यक्ष पूनम प्रसाद ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए विकास संबंधित प्रस्ताव उपायुक्त, राज्यपाल को भेजा गया है।

महिला दक्षता व उद्यमिता प्रशिक्षण सम्पन्न

पाकुड़ (सं.सू.)। महिला दक्षता एवं उद्यमिता का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीडीपीओ सह डीपीओ विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने कहा कि बकरी पालन बहुत ही कम लागत में करने वाला व्यवसाय है।

विश्व महिला दिवस
पाकुड़ झारखंड

विश्व महिला दिवस
पाकुड़ झारखंड

PALAMAU

During observation of Legal Aid Week for women, exhibition, posters, banners, handbills and hoardings were displayed. A grand legal awareness camp have been organised on 8th Mar, 09 at the Headquarter of Chainpur Block in which 500 women were present. Advocates and Judicial Officers and members of NGOs like ISDO were participated in the awareness programme.

अधिकारों से रू-ब-रू हुए ग्रामीण

मेदिनीनगर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर चैनपुर में पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता एवं नरेगा लोक अदालत आयोजित किया गया। इस मौके पर लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी। मुख्य अतिथि सीजेएम चंद्रशेखर पांडेय ने कहा कि यह कानून ग्रामीण बेरोजगारों के लिए है। सचिव चंद्रभूषण सिंह, सब जज द्वितीय मुरारी प्रसाद सिंह, योगेश्वर मणि, योगेश, सत्यपाल, नंदलाल सिंह, वीणा मिश्रा आदि ने ग्रामीणों को नरेगा कानून के बारे में जानकारी दी। तीन पीठों का गठन किया गया। [illegible] लाजवंत, राजीव रंजन मौजूद थे।

हिन्दुस्तान - 9 मार्च 2009

अधिकारों की रक्षा को 'नरेगा' : सीजेएम

लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों ने दी ग्रामीणों को नरेगा के प्रावधानों की जानकारी

नरेगा लोक अदालत में उपस्थित न्यायिक अधिकारी व अन्य

डालटनगंज, जागरण कार्यालय : नरेगा महज योजना नहीं कानून है। यह मजदूरों को रोजगार के अवसर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बना है। मजदूरों में जागरूकता की जरूरत है। उन्हें आगे आना होगा। समाज के अंतिम पायदान के मजदूरों को नरेगा का लाभ नहीं मिला तो इस कानून का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यह बातें पलामू के सीजेएम चंद्रशेखर पांडेय ने कहीं। वे चैनपुर प्रखंड कार्यालय पर रविवार को आयोजित विधिक के दूसरा [illegible] का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं स्वयं सेवी संस्था इसडो के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। संचालन इसडो की प्रतिभा पाठक ने किया। इस मौके पर सीजेएम श्री पांडेय ने कहा कि अगर किसी स्तर पर अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, और अधिकारी नोटिस नहीं ले रहे हों, तो संबंधित मजदूर अपनी शिकायत लोक अदालत या विधिक प्राधिकार में आवेदन देकर करें तो त्वरित कार्रवाई होगी। इसमें गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ आईपीसी व सीआरपीसी की भी धाराओं के तहत कार्रवाई संभव है। एसीजेएम सह प्राधिकार के सचिव मोदी सिंह ने कहा कि महिलाएं हमेशा से उपेक्षित रही हैं। एसडीजेएम योगेश्वर मणि ने नरेगा के प्रावधानों की विस्तृत चर्चा की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नंदलाल सिंह, पलामू के उपविकास आयुक्त रामबचन राम व प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण उपाध्याय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अन्य वक्ताओं ने नरेगा के तहत रोजगार के अवसर संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान न्यायिक अधिकारी योगेश कुमार, निरीक्षक सत्यपाल, सेवानिवृत्त सीजेएम भोलानाथ प्रसाद, अधिवक्ता राजेश्वर पांडेय, श्रीमती पांडेय, लाजवंत तिवारी देवव्रत राम, सतीश पांडेय, राजीव रंजन, वीणा मिश्रा, नरेन्द्र राम आदि उपस्थित थे।

RANCHI

Three programmes were conducted by DLSA out of which first programme was organised at Women Probation Home, Namkum, Ranchi under the chairmanship of the Information Commissioner, Govt. of Jharkhand. Second programme was organised in association with one NGO namely Human Foundation at Dealaya Compound, Ranchi under the chairmanship of the Judicial Commissioner, Ranchi. Third programme was organised at Tamar. In all the programmes participants informed the audience about the protection of Rights of Women, Domestic Violence Act and other laws related to women. Some pamphlets were also distributed among the audience.

ह्यूमन फाउंडेशन की झारखंड इकाई का उद्घाटन

रांची : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गैरसरकारी संस्था ह्यूमन फाउंडेशन की झारखंड इकाई का उद्घाटन अशोक नगर देवालय परिसर में आइजी, एसटीएफ डीके पांडेय ने किया। संस्था के मुख्य संरक्षक राजीव रंजन ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मौके पर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वक्ताओं में जीके राम, बीएन बनर्जी, तनुजा पाणिग्रही व डीके पांडेय ने अपने विचार रखे। अध्यक्षता डीएन उपाध्याय व संचालन ममता पांडेय ने किया।

प्रभात खबर 09-03-09

प्रोबेशन होम में साक्षरता शिविर

रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में महिला दिवस पर नामकुम स्थित महिला प्रोबेशन होम में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर की अध्यक्षता सूचना आयुक्त गंगोत्री कुजूर ने की. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी दी गयी. महिलाओं से संबंधित कानून एवं मुफ्त कानूनी सहायता के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी. प्राधिकार के सचिव विवेकानंद बनर्जी ने कहा कि महिलाएं आगे आकर समाज को सही रास्ते पर ले जा सकती है. इस अवसर पर सब जज जीके राय, ममता श्रीवास्तव, तनुश्री सरकार, परशुराम प्रसाद, अमर टोप्पो, जिला कल्याण पदाधिकारी, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे.

राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा

Dainik Jagran 09-03-09

विधिक साक्षरता शिविर लगा

रांची : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने नामकुम स्थित महिला प्रोबेशन होम में विधिक साक्षरता शिविर लगाया।

मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त गंगोत्री कुजूर थीं। शिविर में सचिव विवेकानंद बनर्जी, सबजज जीके राय, ममता श्रीवास्तव, तनुश्री सरकार, परशुराम प्रसाद व अमर टोप्पो समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

SAHIBGANJ

National Legal Aid Week for women ensuing from 8th Mar, 09 was observed by the DLSA, Sahibganj by holding Legal Awareness Camp on Women's right at Aangan Bari Sevika training Centre, Panchgarh, Sahibganj on 8th March, 09.

हिन्दुस्तान ९ मार्च २००९

विश्व महिला दिवस पर विधिक जागरण शिविर

विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करती एसडीजेएम

साहिबगंज (विधि सं.)। विश्व महिला दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शहर के जिरवाबाड़ी स्थित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र में विधिक जागरण शिविर का आयोजन किया किया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकार की जानकारी देते हुए एडीजे प्रथम आरबीएन सहाय ने कहा कि कालांतर से ही महिलाओं का शोषण होते आया है। उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने में आज भी समाज के कई वर्ग कतराते हैं। अब अंतराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में महिलाओं को जागृत कर उन्हें कानूनी रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर में एसडीजेएम ने महिलाओं को अधिकार के प्रति जागरूक होने की सलाह दी। प्राधिकार के सचिव बीएम राय ने महिलाओं को बताया कि मां-बाप के संपत्ति पर बराबर का हक दिया गया है। इस अवसर पर न्यायिक दंडाधिकारी एसके सिंह ने प्राधिकार की ओर से कानूनी सलाह व सहायता की जानकारी दी। वार्ड पर्षद पूनम किरण चौरसिया व डीके सिंह ने भी शिविर को संबोधित किया।

SERAIKELLA

A Micro Legal Awareness Camp at Agrasen Dharamshala was organised by DLSA in which the women present were sensitized regarding their rights. They have also been asked to raise their grievances of public utility service. Another programme which was organised with the aid and assistance of NGO Ekal Nari Sashakti Sangathan, which was jointly collaborated with another NGO Lokhit Sangathan. The said camp was attended by several women who came there form far flung area. They have also been sensitized regarding DLSA and its functioning, the aid provided by the DLSA in order to settle their grievances as also other legal problems such as Protection of environment, pollution control and other matters related with women i.e. female child foeticide, Right and liberty of women etc.

विधिक साक्षरता शिविर में बोले डीजे

कानून की जानकारी होना जरूरी

कैंप में उपस्थित जिला जज तथा अन्य अधिकारी।

माइक्रो विधिक जागरूकता शिविर

लोगों को दी गयी कानूनी जानकारी

SIMDEGA

A joint programme by DLSA and District Social Welfare Dept. organised in Town Hall, Simdega in which approx. two thousand women of different class, age and locality participated and attended the said camp. Drama folk dance, group singing etc were performed by the different women group and Angan Baris workers on the point of women empowerment and to prevent the exploitation against women. Secondly, a legal awareness camp was organised in the Block office campus in which approx 1200 women attended. Several speakers have delivered their lectures on the different legal issues like domestic violence, dowry, witch craft, harassment of women at work places and to protect themselves from the evils of the society. The third programme is a joint programme of DLSA and Parvati Sharma Mahila Mahavidyalaya Simdega organised in the campus of P.S. Mahila College, Simdega, where the Judicial Officers and others have delivered speeches by which the students and teachers and others made aware about the subject of laws relating to domestic violence, right of women (married, unmarried and widow) etc. Besides these programmes handbills, pamphlets were distributed among the audience in different awareness camps and local public places. The banners related to International Women Day also displayed for the week.

जागरूक बनें, आगे बढ़ें : सीजेएम

मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि और अन्य।

■ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम

संवाददाता सिमडेगा

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर भवन में जिला समाज कल्याण विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं की दशा और दिशा पर चर्चा की गयी।

मुख्य अतिथि सीजेएम विजय कुमार ने घरेलू उत्पीड़न अधिनियम और महिला विषयक अन्य अधिनियमों पर चर्चा करते हुए महिलाओं से जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वावलंबन के अभाव में महिलाओं का शोषण होता है। श्री कुमार ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी को जरूरी बताया।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुकुमार ..., सीएस ... महतो, ... की सीडीपीओ ..., ... मनपी, प्रभात श्रीवास्तव ने प्राधिकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी कानूनी सुविधाएं, महिला विकास के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और अपनी क्षमता को पहचानने की अपील की।

मंच संचालन सीडीपीओ साधना चौधरी ने की।

एनएमएस ने मनाया महिला दिवस

सिमडेगा। नारी मुक्ति संगठन ने कुरकेला गांव में महिला दिवस मनाया। महिलाओं को हर स्तर पर बराबरी का दर्जा दिलाने में लिए जन आंदोलन को तेज करने, भूत-प्रेत, ओझा-डायन जैसे अंधविश्वास को दूर करने, नशाखोरी, विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता प्रदान करने की भी अपील की गयी। माओवादियों का फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन एनएमएस पदधारियों ने महिलाओं का स्वावलंबी बनने, जनआंदोलन विरोधी संगठन का विरोध करने की भी अपील की है।

2009

महिला दिवस 8 मार्च 09

स्थान -
दिनांक -